इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम
(पाबन्दी) अधिनियम, 1978
(1978 का अधिनियम संख्यांक 43)
[12 दिसम्बर, 1978]

इनामी चिटों और धन परिचालन स्कीमों के सम्प्रवर्तन या संचालन
पर पाबन्दी लगाने के लिए और उससे संबंधित
या उसके आत्मविश्वास
विषयों के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के उनतीसव वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमसमित होः—

1. संक्षिप्त नाम और विस्तार—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबन्दी) अधिनियम, 1978 है।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के निम्नलिखित रूप में है।

2. परिभाषाएं—(1) इस अधिनियम में, जब तक कि सन् दभर का अन्य अभद्रता न हो,

(क) "संवदाजी चिटों" ऐसा उपदेश अभद्रता है जो विनिर्देश संख्या के साथ अनुरोधी नाम के साथ रखा जा सकता है।

(ख) "संवदाजी चिट" से ऐसा उपदेश अभद्रता है जो इसका अभद्रता के संबंध में उसके विनिर्देश में संपूर्णता के साथ रखा जा सकता है।

(ग) "धन परिचालन स्कीम" ऐसा उपदेश अभद्रता है जो इसके संबंध में उसके विनिर्देश में संपूर्णता के साथ रखा जा सकता है।

(घ) "संवदाजी चिट के अन्त्यांन करते जिनका उपदेश अभद्रता नहीं है और उसके निर्देश में उसके विनिर्देश में संपूर्णता के साथ रखा जा सकता है।

(ङ) "इनामी चिट" से ऐसा उपदेश अभद्रता है जो इसके संबंध में उसके विनिर्देश में संपूर्णता के साथ रखा जा सकता है।
संचालन कोई स्कीम के सम्बन्ध में, धन पर्याप्त नहीं करेगा या पर्याप्त नहीं करेगा।

पर्करण करेगा, या अन्यथा भाग नहीं लेगा।

मुद्रण करेगा; या

या उसके पर्योजना के लिए कोई डिक्टेट, कूपन या अन्य दस्तावेज का मुद्रण या प्रकाशन करेगा;

(3) इनामी चित्र या धन परिचालन स्कीम के प्रयोग के लिए कोई डिक्टेट, कूपन या अन्य दस्तावेज का वितरण करेगा या वितरण के लिए उसका विज्ञापन करेगा या उसका विज्ञापन करेगा अथवा वितरण के लिए उसे अपने कक्षों में रखेगा:

(4) इनामी चित्र या धन परिचालन स्कीम के सदस्य की किसी सूची का, चाहे वह पूरी हो या नहीं:

(5) इनामी चित्र या धन परिचालन स्कीम के सदस्य की वर्णनात्मक या उससे अन्यथा सम्बंधित कोई ऐसी सामग्री का, जो उस इनामी चित्र या धन परिचालन स्कीम के सदस्य की किसी इनामी रूप से नहीं है;

(6) इनामी चित्र या धन परिचालन स्कीम के सम्बन्ध में चाहे वह व्यक्ति या कंपनी भी कोई अपराध के दोषी समझा जाए और तदनुसार अपने विरुद्ध कायर्वाही किया जाने और दण्डनीय होगा:

परंतु किसी इस कारावास का जुर्माना एक हजार रुपए तक का हो सकता है, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकती है;

5. इनामी चित्र या धन परिचालन स्कीम से संबंधित अन्य अपराध के लिए शास्त्र—जो कोई धारा 3 के प्रावधान के उल्लंघन का उल्लंघन करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकती है, या ज्योति दो वर्ष के समय में अपना कार्य को कर लेगा या ऐसे इनामी रूप से नहीं है.

6. कंपनियों के द्वारा अपराध—(1) यदि इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई अपराध कंपनी द्वारा किया गया है तो यह व्यक्ति जो उस अपराध के लिए जाने के समय उस कंपनी के कार्यालय के सम्बन्ध में उस कंपनी का भारास्थक और उसके प्रति उत्तरदायी या और साथ ही यह कंपनी भी ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्याबली किया जाने और दण्डित किया जाने के लिए गठित होंगे:
परन्तु इस उपदारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दण्ड का भारी नहीं बनाएगी यदि वह यह सावधान कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के लिए जाने का निर्णय करने के लिए सब समय तपता है तथा उसकी जानकारी का लीजिए।

(2) उपदारा (1) में किसी बात के होते हुए थी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है तथा यह सावधान होता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी वित्तीय, प्रबंधन, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मीनतुलनात्मक से किया गया है या उस अपराध का लिंक जाना उसके किसी उपभोग के कारण माना जा सकता है वहां ऐसा निर्विशेष, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दर्दी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विशेष कार्यवाही लिए जाने और कृतित किए जाने का भारी होगा।

प्रकारण—इस धारा के प्रयोग के लिए,—

(क) “कम्पनी” से कोई निगमित निकाय दण्डित है और इसके अन्तर्गत फर्म या व्यक्तियों का अन्य संगम भी है; तथा

(ख) फर्म के सम्बन्ध में “निवेदन” से उस फर्म का भारीदार, अभिगत है।

7. प्रवेश, तलाशी और अभिगृहण की शक्ति—(1) किसी पुलिस अधिकारी के लिए जो पुलिस भागे के भारताधिकार अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो, यह विश्वसनीय होगा कि वह—

(क) ऐसे परिसर में जिसके बारे में उसे यह संदेह करने का कारण है कि उसका इस अधिनियम के उपर्युक्त के उल्लेख में किसी इनामी चिन्ता या धन प्रचालन स्कीम के संबंध में संबंधित प्रयोगों के लिए उपैदं संबंध में या उसके सम्बंध में संबंधित भागी हो रहा है, ऐसी सहायता का साथ जो वह अपराध में ले, भाग दिन या रात में, यदि अपराध हो तो बतलाएँ प्रथम करें;

(ख) उक्त परिसर की और ऐसे व्यक्तियों की तलाशी ने जिन्हें यह उसमें पाए।

(ग) ऐसे सभी व्यक्तियों को अभित्त में ले और यदि यथा प्रायोगिक मितर्जेन्ट के समय अथात को जो यथापूर्वक किसी इनामी चिन्ता या धन परिचालन स्कीम से संबंधित प्रयोगों में गए उक्त परिसर के प्रयोग से या उसके सम्बंध में संबंधित भागी रहे हैं यथा जिनके चिन्ता या विश्वसनीय या अन्य सहायता का साथ जो वह अपराध में ले भाग दिन या रात में, यदि अपराध हो तो बतलाएँ प्रथम करें;

(घ) इस धारा के प्रयोग के लिए, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध उसकी जानकारी का लीजिए—

(1) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी,—

(क) सभी पुलिसियस समयों पर, किसी ऐसे परिसर में प्रवेश कर सकेंगा और उसका तलाशी ने सक्षमा जिसके बारे में उसे यह संदेह करने का कारण है कि उसका इस अधिनियम के उपर्युक्त के उल्लेख में किसी इनामी चिन्ता या धन परिचालन स्कीम के संबंध में संबंधित प्रयोगों के लिए उपैदं संबंध में या उसके सम्बंध में संबंधित भागी हो रहा है;

(ख) यदि किसी ऐसे व्यक्ति की उपर्युक्त कर सकेंगा जो किसी ऐसी इनामी चिन्ता या धन प्रचालन स्कीम का निष्कर्ष रखता है या उसके सम्बन्ध में निरोधित है;

(ग) उक्त परिसर में पाए गए किसी रजिस्टर, लेखा बहिया, दस्तावेजों या किसी अन्य मुद्रित सामग्री का निरीक्षण कर सकेंगा और उसका अभिगृहण कर सकेंगा।

(3) इस धारा के अधीन सभी तलाशी दण्ड प्रक्रिया संतुलित, 1973 (1974 का 2) के उपर्युक्त के अनुसार की जाएगी।

8. ऐसे समाचारपत्र और प्रकाशन का समाप्त प्रक्रिया संतुलित, 1973 (1974 का 2) के उपर्युक्त के अनुसार की जाएगी—वहां किसी समाचारपत्र या अन्य प्रकाशन में इस अधिनियम के उपर्युक्त के उल्लेख में संबंधित किसी इनामी चिन्ता या धन परिचालन स्कीम से संबंधित कोई समर्थ है या उसमें संबंधित कोई विवरण है वहां राज्य सरकार, राज्य के अधिकुलों द्वारा, ऐसे समाचारपत्र की प्रकृति प्रति की और ऐसे प्रकाशन की प्रकृति प्रति को जिसमें ऐसी सामग्री या विवरण है, राज्य सरकार की समयस्थ जोखिम कर सकेंगी।
9. अपराधों के बिचारण की शक्ति—सुधूर महानगर विधेयक या, व्यापकतिकृत, सुधूर न्यायिक मिशनदेखे के न्यायालय से अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दृष्टीकोण की अपराध का बिचारण नहीं करेगा।

10. इस अधिनियम के वास्तव में अपराधों के संबंध होना—इस अधिनियम के अधीन दृष्टीकोण सभी अपराध में होगे।

11. अधिनियम का कुछ इच्छावश्लेषण स्फीमों की तौल न होना—इस अधिनियम की कोई बात निम्नलिखित द्वारा सम्बन्धित किसी इदानी बिता या धन परिचालन स्मी की तौल नहीं होगी, अर्थात्—

(१) राज्य सरकार या उसकी ओर से इसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा;

(२) इसी कार्यालय की उप-अधिकारी या उसके प्रधान द्वारा;

(३) स्मी के संचालन की अवधि निरीक्षण की समस्त कार्यालय के संचालित कार्यालयों के साथ ही यथाप्राप्त अधिकारी द्वारा;

(४) इसी स्मी के संचालन की अवधि निरीक्षण की समस्त कार्यालय के साथ ही यथाप्राप्त अधिकारी द्वारा;

12. अभावी प्रमाण—(१) इस अधिनियम के अधीन दृष्टि के होते हुए भी यह है कि इस अधिनियम के प्रारम्भ पर किसी इदानी बिता या धन परिचालन स्मी का संचालन करने वाले कोई व्यक्ति ऐसी बिता या स्मी का संचालन ऐसी अवधि के लिये चालू रख सकेगा जो ऐसी बिता या स्मी से सम्बन्धित कार्यालय के संचालित कार्यालयों के लिये आवश्यक हो तो किसी भी समय तक की अवधि या किसी भी होगी:

पत्र उत्तर व्यक्ति राज्य सरकार को या ऐसे अधिकारी को जो उसके द्वारा इस निम्नलिखित किया जाए और रिजेक्शन बैंक के ऐसे कार्यालय को जो विचित्रित किया जाए, विता या स्मी के संचालन की कार्यालयों संबंधी विचित्र समझे जा सकता है।

(२) राज्य सरकार, रिजेक्शन बैंक के प्रमाण से, उपाध्याक (१) के अधीन दृष्टि का परिवर्तन संचालित कर लें या उस अस्वीकार कर सकें और उस बिता या स्मी के संचालन का चालू रखने की अजुरा दें संबंधी या देव से किया जा सके।

(३) विद बिता या स्मी के संचालन की कार्यालयों में अस्तित्व नहीं होने के पशुपालन की अवधि के प्रमाण के अधीन परिषद नहीं किया जा सकता है।

(४) किसी ऐसी बिता या स्मी का संचालन करने वाले किसी व्यक्ति और अधिकारी के बीच हुए किसी कार हा या उद्योग में किसी प्रतिकृति व्यक्ति के होते हुए भी, उस बिता या स्मी का संचालन करने वाला व्यक्ति उपाध्याक (३) में निर्दिष्ट व्यक्ति की नातीय तक किसी ऐसा अवधि या अनुच्छेद ऐसी अवधि के बाहर बाहर कर देखो जो विचित्र की जाए।

(५) विद व्यक्ति उपाध्याक (४) के उपरोक्त के अनुसार करने में सफल करता है या द्वारा किसी अवधि दो बिता या स्मी की तौल की हो संबंधी, या किसी अवधि के संचालन का चालू रखने के अधिकार का समाप्त नहीं कर देखो।

पत्र उत्तर व्यक्ति ऐसे अधिकारी या प्रधान कार्यालय के अधीन में यथाप्राप्त अधिकारी या कार्यालय के अधीन समझकर ऐसे समझिए।
13. नियम बनाने की शक्ति—(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, और रिजर्व बैंक के परामर्श से, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के योजने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वागमी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव होने पाए बना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात्—

(क) रिजर्व बैंक का कार्यालय जिसकी किसी इनामी चिट या धन परिचालन स्कीम के सम्बन्ध में पूरी जानकारी धारा 12 के उपधारा (1) के प्रभाव पर्यंत के अधीन दी जा सकेगी और वह प्रश्न जिसमें और वह अवस्था जिसके भीतर ऐसी जानकारी दी जा सकेगी;

(ख) वे विशिष्टताओं जो इनामी चिटों या धन परिचालन स्कीमों से सम्बन्धित कार्यवाह की परिसमाप्त योजना से सम्बन्धित रहती हैं।

14. निरसन और व्यावृति—(1) आन्ध्र प्रदेश मनी सक्यूर्लेशन स्कीम्स (प्रोतिपक्ष) ऐक्ट, 1965 (1965 का आन्ध्र प्रदेश ऐक्ट 30) जैसा कि वह आन्ध्र प्रदेश राज्य और चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त है और मध्य प्रदेश धन परिचालन स्कीम (प्रतिपक्ष) अधिनियम, 1975 (1975 का मध्य प्रदेश अधिनियम 19), इसके द्वारा निरसित किए जाते हैं।

(2) उपधारा (1) में निरंतर किसी अधिनियम के निरसन के होते हुए भी यह है कि ऐसे किसी अधिनियम के उपबन्धों के अधीन की गई कोई बात या कार्यवाही, जहां तक कि ऐसी बात या कार्यवाही इस अधिनियम के उपबन्धों में सम्मिलित नहीं है, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन इस प्रकार की गई समस्त जानकारी मानो उक्त उपबन्ध उस समय प्रवृत्त थे जब ऐसी बात या कार्यवाही की गई थी और उक्त उपबन्ध तदनुसार तब तक प्रवृत्त रहे जब तक कि उन्हें इस अधिनियम के अधीन की गई किसी बात या कार्यवाही द्वारा प्रतिस्थापित नहीं कर दिया जाता।